

**न्यायालय : अतुल बिल्लौरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)**

कमांक./181/2025

मंदसौर, दिनांक 22.02.2025

**— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह मार्च 2025 ::—**

**— :: जिला मुख्यालय-मंदसौर ::—**

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम                              | माह मार्च 2025           |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | श्रीमती रोहिणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 01-03-2025<br>02-03-2025 |
| 2  | श्री राजकुमार त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 14-03-2025<br>15-03-2025 |
| 3  | सुश्री रुपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी    | 09-03-2025<br>19-03-2025 |
| 4  | श्रीमती श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी   | 16-03-2025<br>23-03-2025 |
| 5  | सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  | 30-03-2025<br>31-03-2025 |

**—::तहसील मुख्यालय-नारायणगढ़ ::—**

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम                              | माह मार्च 2025                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  | 09-03-2025<br>19-03-2025<br>23-03-2025<br>30-03-2025<br>31-03-2025 |
| 2  | श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 01-03-2025<br>02-03-2025<br>14-03-2025<br>15-03-2025<br>16-03-2025 |

**— ::तहसील मुख्यालय-सीतामऊ ::—**

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम                               | माह मार्च 2025                                       |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी       | 14-03-2025<br>15-03-2025<br>16-03-2025<br>19-03-2025 |
| 2  | श्रीमती प्रियंका साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 23-03-2025<br>30-03-2025<br>31-03-2025               |
| 3  | सुश्री सुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  | 01-03-2025<br>02-03-2025<br>09-03-2025               |

**- ::तहसील मुख्यालय-गरोठ ::-**

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम                             | माह मार्च 2025                                                     |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी      | 01-03-2025<br>09-03-2025<br>15-03-2025<br>19-03-2025<br>30-03-2025 |
| 2  | श्रीमती प्रीति पांडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 02-03-2025<br>14-03-2025<br>16-03-2025<br>23-03-2025<br>31-03-2025 |

**- ::तहसील मुख्यालय-भानपुरा ::-**

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम                                    | माह मार्च 2025                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1- | श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा  | 01-03-2025<br>09-03-2025<br>15-03-2025<br>23-03-2025<br>31-03-2025 |
| 2- | सुश्री मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा | 02-03-2025<br>14-03-2025<br>16-03-2025<br>19-03-2025<br>30-03-2025 |

माह मार्च 2025 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमांड ड्यूटी का निष्पादन **माह मार्च 2025** में क्रमशः सुश्री पूर्वी गुप्ता/श्री विनित साकेत/श्री सौरभ कुमार सिंह/श्री राहुल दुबे/सुश्री मेघा पुरोहित के द्वारा किया जावेगा।

माह मार्च 2025 के उपरोक्त सार्वजनिक अवकाशों में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होकर, कार्यमुक्त होने की दशा में कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 07.02.2025 अनुसार प्रभारी पदस्थापना(तहसील) के रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

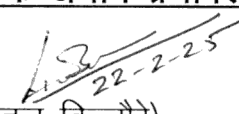
उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी, किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित

पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 3.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

**विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।**

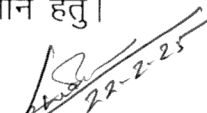
  
(अतुल बिल्लौरे)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मंदसौर (म.प्र.)

पृ.क.:- **182 / 2025**

मंदसौर, दिनांक 22.02.2025

**प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)**

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेजे के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।

  
(अतुल बिल्लौरे)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मंदसौर (म.प्र.)